फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री निर्मयसिंह बनाम विपक्षी श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 104/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 15.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। नकल दिलाई गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 1 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे बहस सुनी गई। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने पाया कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का 60 वर्षो से पढीदार होकर कब्जा काश्त की जा रही है व आधे भाग पर पक्का निर्माण कर निवास किया जा रहा है व ट्युबेल भी लगा रखी और AVVNL से विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है नल कनेक्शन भी ले रखा है तथा इस जमीन पर खातेदारी निर्णयाधीन है जिसमें परिवादी को सफलता मिलने की पूरी संभावना है वर्तमान समय मे परिवादी ने उक्त जमीन को आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत बरोडिया में आवेदन किया और तहसीलदार भीण्डर के यहा पर भी किस्म परिवर्तन का वाद दायर किया गया था वर्तमान समय में ग्राम पंचायत बरोडिया का सरपंच प्रतिनिधि एवं परिवादी के परिवारों के मध्य आपसी विवाद चल रहा है जिस द्वेषता के कारण परिवादी को डर है कि सरपंच द्वारा उक्त जमीन पर अपनी दादागिरी से अतिक्रमण हटाने की धमकिया दी जा रही है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में बताया कि वादी द्वारा राजस्व ग्राम बरोडिया की चारागाह भूमि जो कि ग्राम पंचायत बरोडिया के संरक्षण की भूमि है को एवं महफुज चारागाह ग्राम पंचायत बरोडिया हिस्सा पूर्ण चारागाह एवं सामान्य कार्य हेतु के नाम पर दर्ज है को प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है तथा वादपत्र में वर्णित भूमि ग्राम पंचायत के संरक्षण की होने से एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की होने से वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रतिकुल कब्जे के आधार पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थी खातेदार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:48:28 IST
Reason: SelfAttested